Changes in Interest Rates

Year	Saving deposits	Term deposit of 46 days to 3 years and above
1992-93	Once (effective April 24, 1992)	Thrice (effective April 22, 1992 October 9, 1992 & March 1, 1993)
1993-94	Once (effective July 1, 1993)	Once (effective September 2, 1993)
1994-95	Once (effective November 1, 1994)	Once (effective February 10, 1995)
1995-96	Nil	Once (effective April 18., 1995)

Interest rates on bank deposits are determined taking into account a number of factors including the rate of inflation, the need to mobilise resources, other interest rates prevalent in the market; perceptions regarding the future course of inflation and real interest rates, cost of funds and the return on their deployment. The interest rates are kept under continuing review and appropriate changes made in accordance with emerging developments in the economy.

गोईपेरिया समिति की सिफारिशें

6063. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के कार्यकरण के संबंध में गोईपेरिया समिति की सिफारिश क्या हैं;

(ख) कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है और कितनी सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गोईपेरिया समिति की सिफारिशों को लागू करने का कार्य बहुत धीमा चल रहा है ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए न कि बैंकों के कार्यकरण के संबंध में सिफारिशें करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गोईपेरिया समिति का गठन किया गया था ।

(ख) गोईपेरिया समिति की अधिकांश सिफारिशों को बैंकों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) गोईपेरिया समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों से तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर रहा है ।

इन रिपोर्टों के अनुसार कार्यान्वयन को बहुत धीमा नहीं कहा जा सकता है । तथापि, कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जिनके सुचारु कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों के संगठनों के साथ बातचीत अपेक्षित है । भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों ने इस दिशा में पहले ही आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है ।

ऋण वसूली में कमी

6064. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 के

दौरान देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण वसूली किए जाने की संभावना थी और अब तक कितने प्रतिशत ऋण वसूली की गई है;

(ख) ऋण वसूली में कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उदारीकरण और विदेशी बैंकों द्वारा तैयार किया गया प्रतिस्पर्धा का वातावरण इस कमी के लिए जिम्मेदार है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (घ) मार्च 1993 और मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अतिदेय राशियां और निवल ऋण के मुकाबले उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च 1993	मार्च 1994
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अतिदेय राशियां .	25170.85	26094.24
निवल ऋण की तुलना में प्रतिशतता . .	18.80	18.39

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अग्रिमों की खराब वसूली के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(1) ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने समय और विशेष रूप से प्रतिफल निविष्ट लागत और उत्पादन कीमतों के संबंध में किए गए पूर्वानुमान के संदर्भ में दोषपूर्ण योजना ।

(2) निवेशों से हुई आय का दुरुपयोग और उन्हें दूसरी जगह लगाना ।

(3) ऋण के प्रति समन्वित दृष्टिकोण की कमी, दूसरी निविष्टियों की आपूर्ति के लिए व्यवस्था, प्रौद्योगिकी समर्थन और विस्तार सेवाओं द्वारा ऋण का समर्थन किया जाना चाहिए ।

(4) असंतोषजनक विपणन व्यवस्था जिससे ऋणकर्ता अपने उत्पादों के लिए अपेक्षित कीमतों से कम कीमतें प्राप्त कर रहे है ।

(5) ब्लाक स्तर पर कृषि ऋणों के प्रभावी पर्यवेक्षण और वसूली के लिए उपयुक्त पर्याप्त स्टाफ की कमी ।

(6) ऋणकर्ताओं की काफी संख्या जानबूझकर चूक करने वालों की है ।

(7) सूखा और बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदायें ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को इक्विटी अंशदान जारी करने से पहले बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के तहत एक बाध्यता/प्रतिबद्धता प्रधान कार्यालय में वसूली कक्ष स्थापित करने की थी ताकि अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वसूली पर निगरानी रखी जा सके । तदनुसार, अधिकांश बैंकों ने प्रधान कार्यालय में वसूली कक्ष स्थापित कर दिए हैं । ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने से भी बैंकों के वसूली कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है ।